



सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

9-11 फरवरी, 2017 के दौरान ऑटिज्म प्रमाणन टूल्स पर प्रशिक्षण की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया

Posted On: 14 FEB 2017 5:53PM by PIB Delhi

भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की सांविधिक निकाय- ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के राष्ट्रीय न्यास ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के बाल न्यूरोलॉजी प्रभाग के साथ मिलकर 9-11 फरवरी, 2017 तक विज्ञान भवन नई दिल्ली में 'ऑटिज्म टूल्स-आईएनसीएलईएन एंड आएसएए में मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण के लिए दूसरी तीन दिवसीय कार्यशाला' का आयोजन किया।

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने 10 फरवरी, 2017 को कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजन) के सचिव एन एस कांग, राष्ट्रीय न्यास के संयुक्त सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मुकेश जैन, एम्स के डॉक्टरों के साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रो बलराम ऐरन, गैर सरकारी संगठन और और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के अधिकारीगण भी मौजूद थे।

इस कार्यशाला को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सरकारी अस्पतालों के 53 से अधिक डॉक्टरों ने भाग लिया। इसमें दिल्ली के विभिन्न सरकारी अस्पतालों से 29 डॉक्टर, पंजाब से 5, पश्चिम बंगाल से 4, बिहार और चंडीगढ़ से 3-3 और असम तथा मेघालय से 1-1 डॉक्टर शामिल थे। दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों के लिए इसी तरह, तीसरी कार्यशाला को 31 मार्च, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल, 2017 को दिल्ली में आयोजित करने की योजना बनाई गयी है।

कार्यशाला का उद्देश्य आईएनसीएलईएन और आईएसएए टूल्स का प्रयोग कर ऑटिज्म का सही ढंग से निदान करने के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों (बाल रोग विशेषज्ञों, मनोचिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों) को प्रशिक्षित करना था। कार्यशाला में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षित किया गया, जो बाद में आईएनसीएलईएन और आईएसएए टूल्स का प्रयोग कर अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ऑटिज्म के निदान के लिए प्रशिक्षण देंगे। यह ऑटिज्म निदान और प्रमाणीकरण में एकरूपता सुनिश्चित करेगा और विशेषाधिकार लाभ उठाने के लिए व्यक्तियों और परिवारों को सक्षम बनाएगा।

सरकार ने ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के लिए विभिन्न योजनाएं और नीतियां तैयार की हैं। ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण का राष्ट्रीय न्यास देश में 450 से अधिक पंजीकृत संगठनों के माध्यम से शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा और आवासीय देखभाल की सुविधा के साथ विकलांग व्यक्तियों के लिए 10 योजनाएं लागू कर रहा है। ऑटिज्म पर प्रमाणीकरण की इन सुविधाओं से लोगों को अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद मिलेगी।

वीके/केजे- 398

(Release ID: 1482691) Visitor Counter : 6

